132

:: श्री ::

श्री रितेश मण्डलोई
अभिभाषक द्वारा
इन्दौर पर प्रस्तुत

रा.नि.प्र.क्र. .... / ....

प्रस्तुति दि. 27/11/12

रा. रा. श्रीमान श्रीमान अध्यक्ष / सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

1. सिकंदर बी पति अब्दुल लतीफ R-4128-PBR/12

निवासी : ग्राम काजी पलासिया, तहसील व जिला इन्दौर

2. अब्दुल हमीम पिता अब्दुल लतीफ

निवासी : ग्राम काजी पलासिया, तहसील व जिला इन्दौर

वर्तमान में जिला जेल इन्दौर में निरूद्ध **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

अब्दुल रशीद पिता अब्दुल लतीफ,

निवासी : ग्राम काजी पलासिया, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

हालमुकाम : 112, मराठी मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.) **... प्रतिप्रार्थी**

वाद : नामांतरण बाबद।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959

माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 45 / 2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 16–10–2012 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्न एवं अन्य आधारों पर इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.निगरानी 4128-पीबीआर/2012 जिला-इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-2-2018	आवेदक अधिवक्ता दिनांक 17-12-12 से आज दिनांक तक अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-10-2012 की सत्यप्रतिलिपि का तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के आदेश व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं पाते हुये अपील आवेदन सुनवाई हेतु अग्राह्य की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	